पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र / स0द0 जांच / 2009-10 / 0910036 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ-ार प्रदेश

(चेक पोस्ट नुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 23 जुलाई, 2009

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0 नु0शा0/ पील)/

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0 नु0शा0 / पील / उ0न्या0कार्य / सर्वो0न्या0कार्य)

डिप्टी कमिश्नर / सिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर धिकारी,

वाणिज्य कर उ0प्र0।

Key word 1-47-IMPORT / Verification Forms/ Penalty

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या चे0पो0-25-क-परिपत्र-2008 / 0809100 / वाणिज्य कर दिनांक 03-02-09 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के लिए माल के निर्बाध परिवहन हेतु जांच किये जाने के सम्बन्ध में विस्तार से निर्देश दिये गये हैं।

पंजीकृत व्यापारियों के परिवहित किये जा रहे माल के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से यह निर्देश हैं कि यदि माल के साथ प्रदेश पंजीकृत व्यापारी द्वारा मुद्रित तथा क्रमांकित टै स इनवाइयस / सेल्स इनवायस / चालान / बिल्टी / कैशमेमो / ट्रान्सफर इनवायस में से कोई एक डाकूमेन्ट उपलब्ध हो तो व्यापारी के भिलेख जांच हेतु नहीं मंगाये जायेंगे। करापवंचन का सन्देह होने पर सचल दल धिकारी संदर्भित प्रपत्रों की प्रतियां व्यापारी से प्राप्त कर पनी टिप्पणी के साथ विक्रेता व्यापारी के कर निर्धारक धिकारी को भेज देंगे। प्रयास यह रहना चाहिए कि व्यापारियों के माल के परिवहन में नावश्यक रूकावट उत्पन्न नहीं हो परन्तु मुख्यालय स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी इनका कड़ाई से नुपालन नहीं हो रहा है एवं परिवहित किये जा रहे माल के वाहनों को नावश्यक रोककर जगह-जगह वरोध उत्पन्न किया जा रहा है तथा सम्बन्धित कागजात रहते हुए भी जबरन जमानत जमा करायी जा रही है। यह स्थिति त्यन्त ापि-ाजनक है एवं प्रदेश के व्यापार पर गतिरोध उत्पन्न कर रही है ।

त: पुन: निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत व्यापारियों के लिए माल के परिवहन के दौरान जांच के सम्बन्ध में मुख्यालय से जारी उ त परिपत्र दिनांक 03-02-09 के निर्देशों के नुसार कार्यवाही की जाये एवं परिवहित माल को निर्बाध रूप से चलने दिया जाये। यदि यह पाया जाता है कि पंजीकृत व्यापारियों के माल के परिवहन के दौरान सामान्य तकनीकी त्रुटियों के ाधार पर जारी निर्देशों के विपरीत उनका कारण उत्पीड़न किया गया है तो सम्बन्धित धिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण पनाते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

निर्देशों का नुपालन कठोरता से सुनिश्चित किया जाये।

(निल संत)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ-ार प्रदेश

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उ त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं ावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग, उ-ार प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. ध्यक्ष, वाणिज्य कर धिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त सदस्य वाणिज्य कर धिकरण, उ0प्र0।
4. संयु त निदेशक, प्रशिक्षण वाणिज्य कर धिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
5. समस्त नुभाग / धिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6. चेकपोस्ट नुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियां तिरि त।

(वी0पी0श्रीवास्तव)

ज्वाइंट कमिश्नर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर

मुख्यालय, लखनऊ।